

मत्स्य निदेशालय
आफिसर्स हॉस्टल, ब्लॉक-ए, बेली रोड, बिहार, पटना


आदेश

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के राज्यादेश संख्या 18 दिनांक 14.11.2011 के आलोक में मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या 919 दिनांक 28.06.2012 एवं कार्यालय आदेश संख्या 53 दिनांक 10.01.2013 के द्वारा प्राथमिकता के आधार पर राज्य के मत्स्य संसाधन से समृद्ध मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, दरभंगा एवं मधुबनी जिलों मत्स्य प्रसार पदाधिकारियों को संविदा पर नियोजित किया गया था। उक्त आदेशों द्वारा नियोजित मत्स्य प्रसार पदाधिकारियों की एक वर्ष की नियोजन अवधि समाप्त हो जाने के फलस्वरूप मत्स्य निदेशालय के आदेश संख्या 1788 दिनांक 29.10.2013, आदेश संख्या 1331 दिनांक 27.08.2014 एवं आदेश सं- 344 दिनांक 24.02.2016 एवं आदेश सं- 340 दिनांक 20.03.2017 द्वारा अगले एक और वर्ष के लिए नियोजन का विस्तार किया गया। उपरोक्त आदेशों द्वारा संविदा के आधार पर नियोजित मत्स्य प्रसार पदाधिकारियों की अवधि समाप्त हो गई है। विभाग में मत्स्य प्रसार पदाधिकारियों की कमी रहने एवं जनहित के मद्देनजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या - 8025 दिनांक 21.05.2013 के मार्गदर्शक सिद्धान्त के आलोक में मत्स्य निदेशालय, पटना के पत्रांक 639 दिनांक 25.04.2018 द्वारा निम्नांकित मत्स्य प्रसार पदाधिकारियों द्वारा दिनांक 03.05.2018 को पुर्ननियोजन हेतु नए सिरे से पुनः एकसंरनामा किए जाने के उपरान्त स्तम्भ- 3 में अंकित कार्यालय में पूर्व से प्रतिमाह के नियत पारिश्रमिक भुगतान के आधार पर पदस्थापित किया जाता है-

क्र०	नाम	जिला का नाम
1	2	3
1	श्री अशोक कुमार	जिला मत्स्य कार्यालय, मधुबनी
2	मो० नियाजुद्दीन	जिला मत्स्य कार्यालय, मुजफ्फरपुर
3	श्रीमती दिव्या कुमारी	जिला मत्स्य कार्यालय, मुजफ्फरपुर
4	श्री मनोरंजन कुमार राय	जिला मत्स्य कार्यालय, मुजफ्फरपुर
5	श्री नंदन कुमार	जिला मत्स्य कार्यालय, मुजफ्फरपुर
6	आदित्य कुमार	जिला मत्स्य कार्यालय, पू० चम्पारण
7	श्री मनीष कुमार	जिला मत्स्य कार्यालय, पू० चम्पारण
8	श्री संतोष कुमार चौबे	जिला मत्स्य कार्यालय, मधुबनी
9	श्री विकास कुमार	जिला मत्स्य कार्यालय, दरभंगा
10	श्री प्रफुल्ल कुमार सिंह	जिला मत्स्य कार्यालय, दरभंगा

11	श्री अरुण कुमार यादव	जिला मत्स्य कार्यालय, प० चम्पारण
12	श्री रागिव हुसेन	जिला मत्स्य कार्यालय, मुजफ्फरपुर


- सभी संबंधित संविदा पर पुर्ननियोजित मत्स्य प्रसार पदाधिकारी आदेश निर्गत की तिथि से पन्द्रह दिनों के अन्दर अपने संबंधित नियंत्री पदाधिकारी के समक्ष अपना योगदान दें।
- नियंत्री पदाधिकारी के समक्ष योगदान की तिथि से उनका नियोजन आरंभ मानते हुए उन्हें निर्धारित पारिश्रमिक का भुगतान अनुमान्य होगा। अनुपस्थित अवधि के लिए पारिश्रमिक की समानुपातिक राशि काटकर ही शेष पारिश्रमिक भुगतान होगा।
- पारिश्रमिक का भुगतान बजट शीर्ष 2405- मछली पालन-001- निदेशन तथा प्रशासन -0102 मत्स्य प्रसार विपत्र कोड 02-2405000010102 के 01022802-“संविदा सेवाएँ” विषय शीर्ष में राज्य स्कीम अन्तर्गत स्वीकृत एवं आवंटित राशि से किया जाएगा।
- यह नियोजन, आदेश निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए किया गया है। उक्त तिथि के पश्चात् अन्यथा कोई निदेश जारी नहीं होने की दशा में, नियोजन स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- इनका मुख्यालय राज्यादेश सं०- 574 दिनांक 16.02.2018 के कडिका- 5 के अनुसार रहेगा।
- उपर्युक्त आदेश में सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।


निदेशक मत्स्य
बिहार, पटना।

ज्ञापाक/म०/विविध पत्रा०-40/2011.....689...../

प्रतिलिपि- सभी संबंधित कौषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


दिनांक 10.05.2018


निदेशक मत्स्य
बिहार, पटना।

ज्ञापाक/म०/विविध पत्रा०-40/2011.....689...../

प्रतिलिपि- जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सम्बन्धित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


दिनांक 10.05.2018


निदेशक मत्स्य
बिहार, पटना।

ज्ञापाक/म०/विविध पत्रा०-40/2011.....689...../

प्रतिलिपि- सभी संबंधित मत्स्य प्रसार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


दिनांक 10.05.2018


निदेशक मत्स्य
बिहार, पटना।

ज्ञापांक / म० / विविध पत्रा०-४० / २०११.....६४५..... /

दिनांक...१०.०५.२०१४

प्रतिलिपि- संयुक्त मत्स्य निदेशक, सभी, / उप मत्स्य निदेशक सभी / निदेशालय के सभी पदाधिकारियों एवं सहायकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


१०/५
निदेशक मत्स्य
बिहार, पटना

ज्ञापांक / म० / विविध पत्रा०-४० / २०११.....६४५..... /

दिनांक...१०.०५.२०१४

प्रतिलिपि- आईटीओ मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, पटना को प्रेषित एवं अनुरोध है कि इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्रवाई किया जाय।


१०/५
मत्स्य निदेशक,
बिहार, पटना